3/15/2000

आरोपी योगन्द्र उर्फ जोगेन्द्र पुत्र माठु उर्फ राधिसेंह की ओर से श्री के0 सी0 उपाध्याय अधिवकता हारा आवेदनपत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण आज पेशी में लेकर अर्थादण्ड की राशि जमा करने की कृपा करें

आवेदन पर सुना गया प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदन विचार उपरान्त स्वीकार। प्रकरण में आरोपी समौतार की और से हुये अर्थदण्ड को जमा नहीं किया गया है आज वह जमा करना चाहता है।

अतः आवेदन स्वीकार किया जाता है आरोपी द्वारा अर्थेदण्ड की राशि 13000 /- रूपये जमा की गयी जो रशीद कं013 पर जमा कर उसे रशीद दो गयी

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष न होने से दाखिल रिकार्ड

क्र

ए०एस० जे०मोहत